क्रमांक / प12(3)(1)राज / 2021 /	दिनांक :	.02.2021

:: आदेश ::

उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज ने अपने पत्रांक / राजस्व / 2021 / 12 दिनांक 25.01.2021 व पत्रांक / 91 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित कर अवगत कराया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग शिवगंज द्वारा मनादर–रोवाडा सडक कि.मी. 5 / 500 से 9 / 500 सडक हेतु वन विभाग की भूमि ग्राम रोवाडा के खसरा नम्बर 346 में से 1.00 बीघा, खसरा नम्बर 349 में से 20.10 बीघा एवं ग्राम मनादर–II के खसरा नम्बर 2594 / 1 रकबा 3.10 बीघा कुल किता–3 रकबा 25.00 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग में ली जानी है। वन विभाग की उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग में लेने हेतु उक्त भूमि के बदले में ग्राम मनादर–II के खसरा नम्बर 2931 / 1 कुल रकबा 139.12 बीघा किस्म खालखद्दर में से 25.00 बीघा अर्थात् 4.00 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को देने हेतु प्रस्तावित की गई है।

प्रकरण में उप वन संरक्षक, सिरोही ने अपने पत्रांक / 670 दिनांक 05.02.2021 से वन विभाग को देने हेतु उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा प्रस्तावित की गई भूमि पर प्रोसोफिस ज्यूलीफ्लोरा (अंग्रेजी बबूल) का घनत्व अधिक होने से उक्त क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण NPL 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर किया जाना संभव नहीं होने से उक्त प्रस्तावित भूमि से प्रोसोफिस ज्यूलीफ्लोरा (अंग्रेजी बबूल) की झाडियों को जड से हटवाकर यह भूमि वन विभाग को दी जाती है तो वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

अतः प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज द्वारा प्रेषित प्रस्ताव / रिपोर्ट एवं वन विभाग से प्राप्त सहमति अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग शिवगंज द्वारा मनादर–रोवाडा सडक कि.मी. 5 / 500 से 9 / 500 सडक हेतु वन विभाग की भूमि ग्राम रोवाडा के खसरा नम्बर 346 में से 1.00 बीघा, खसरा नम्बर 349 में से 20.10 बीघा एवं ग्राम मनादर–II के खसरा नम्बर 2594 / 1 रकबा 3.10 बीघा कुल किता–3 रकबा 25.00 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग में लेने हेतु उक्त भूमि के बदले में ग्राम मनादर–II के खसरा नम्बर 2931 / 1 कुल रकबा 139.12 बीघा किस्म खालखद्दर में से 25.00 बीघा अर्थात् 4.00 हैक्टेयर गैर वन भूमि संलग्न नक्शे अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत वन विभाग हेतु आरक्षित (Set apart) की जाती है।

साथ ही सी.ई.ओ. एवं पी.डी., बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सदस्य सचिव, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, जयपुर के पत्रांक / प. 5(23) / ग्रा.वि. / बी.एफ.ए. / ब.भू. / 2017 / 967 दिनांक 20.09.2017 में वर्णित निर्देशों की पालना में तहसीलदार, शिवगंज की अध्यक्षता में सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिवगंज एवं उपकोषाधिकारी, शिवगंज की कमेटी का गठन कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कमेटी वन विभाग हेतु आरक्षित की गई उक्त भूमि में से अंग्रेजी बबूल को जड़ से उखाड़कर उनकी नियमानुसार निलामी करवायेगी तथा निलामी से प्राप्त होने वाली आय मुख्य शीर्षक 0029 भूराजस्व में जमा करवायेगी। उक्त भूमि से केवल अंग्रेजी बबूल ही हटाये जायेंगे इसमें किसी भी प्रकार से अनाधिकृत कटाई न हो जिसके परिणामस्वरूप भूमि कटाव प्रभावित हो।

जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक / प12(3)(1)राज / 2021 / 852 – 59	दिनांक : 11.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप वन संरक्षक, सिरोही को मय नक्शा ट्रेस प्रेषित है।
2. उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही।
4. तहसीलदार, शिवगंज को मय नक्शा ट्रेस भेजकर लेख है कि उक्तानुसार आरक्षित भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर जमाबंदी की प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें तथा आरक्षित भूमि से अंग्रेजी बबूल हटाने के संबंध में उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित

Scanned by CamScanner

2101	0-13(0.1052)	खारच	0-13(0.1052)
2120	229-19(37.2229)	खारच	229-19(37.2229)
2295	2-10(0.4046)	खाल खद्दर	2-10(0.4046)
2352	28-19(4.6863)	धोरा	28-19(4.6863)
2361	8-03(1.3193)	धोरा	8-03(1.3193)
2363/2	5-02(0.8256)	खाल खद्दर	5-02(0.8256)
2364/4	5-02(0.8256)	धोरा	5-02(0.8256)
2365/1	15-02(2.4443)	धोरा	15-02(2.4443)
2370	7-16(1.2626)	धोरा	7-16(1.2626)
2371	7-06(1.1817)	धोरा	7-06(1.1817)
2373	15-12(2.5252)	धोरा	15-12(2.5252)
2470	12-12(2.0396)	आगोर	12-12(2.0396)
2535	2-13(0.4289)	आगोर	2-13(0.4289)
2585	2-02(0.3399)	खारच	2-02(0.3399)
2591	21(3.3994)	धोरा	21(3.3994)
2629	0-12(0.0971)	खाल खद्दर	0-12(0.0971)
2630	1-15(0.2833)	खाल खद्दर	1-15(0.2833)
2633/2	8-19(1.4488)	खाल खद्दर	8-19(1.4488)
2636	59-11(9.6396)	खाल खद्दर	59-11(9.6396)
2640	40-14(6.5883)	खाल खद्दर	40-14(6.5883)
2644/12	10(1.6187)	खाल खद्दर	10(1.6187)
2744	4-03(0.6718)	आगोर	4-03(0.6718)
2746	1(0.1619)	खाल खद्दर	1(0.1619)
2858	13-16(2.2339)	खाल खद्दर	13-16(2.2339)
2931/1	139-12(22.5976)	खाल खद्दर	139-12(22.5976)

M.न0- 3845/17.08.2021 आवंटन आदेश द्वारा ख०नं० 2931/1 रकबा 139.12 में से 2931/2 रकबा 25.00 बीघा भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित दर्ज हुई।

नो०का०सं० 3567/11.02.2017 जरिये SDM साहब आदेश ... क्रमांक/राजस्व/2016/1781-82/27.12.16 की पालना में ख०नं० 2858 का विवरण निम्न प्रकार रहा

ख०नं०	रकबा	किस्म
2858/1	8.11	...
2858/2	4	...
2858/3	1.05	...

कच्ची नक्सा